न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :– 03 / 84 / 2016

<u>तोफली बनाम कजोड</u>
प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 46 / 2094 / 0.40, 77 / 0.30, 78 / 0.18 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ में आने जाने का अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 44 व 41 में से जारी करने बाबत् पेश किया है। प्रकरण में कैम्प कोर्ट के दौरान पटवारी हल्का व तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार प्रार्थी तोफली पत्नि रघुवीर गुर्जर द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से अपने हिस्से की खातेदारी का बेचान कर दिया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1017 दिनांक 20.02.18 दर्ज हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार राजगढ के अनुसार जब आराजी विवादित की प्रार्थिनी खातेदार ही नहीं रही है तो प्रार्थना पत्र प्रार्थी कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

Web Copy - Not Official